



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082022-238453
CG-DL-E-30082022-238453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]
No. 589]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2022/भाद्र 8, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2022/BHADRA 8, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 665(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में हवलदार के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, -
 - स्तंभ (6) के टिप्पण में "नियत" शब्द के स्थान पर "विज्ञापित" शब्द रखा जाएगा।
 - स्तंभ (7) में, -
 - "साईकल चलाना - 30 मिनट में 8 कि.मी." शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;
 - "साईकल चलाना - 25 मिनट में 3 कि.मी." शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/06/2010-प्रशा. IIIख]

राजन कुमार झा, उप सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्या 233(अ) द्वारा तारीख 30 मार्च, 2015 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 38(अ), द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2017 तथा सा.का.नि. संख्या 712(अ), द्वारा तारीख 30 जुलाई, 2018 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2022

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Excise and Customs Department, Havaldar and Head Havaldar (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules shall be called the Central Indirect Taxes and Customs Department, Havaldar and Head Havaldar (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise and Customs Department, Havaldar and Head Havaldar (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, against serial number 1 relating to the post of Havaldar, -

(i) in column (6), in 'Note 1', for the words "as fixed", the words "as advertised" shall be substituted;

(ii) in column (7), -

(a) the words, figures and letters "cycling - 8 kms in 30 minutes" shall be omitted;

(b) the words, figures and letters "cycling - 3 kms in 25 minutes" shall be omitted.

[F. No. A-12018/06/2010-Ad.III.B]

RAJAN KUMAR JHA, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 233 (E), dated the 30th March, 2015, and further amended vide G.S.R. 38 (E), dated the 17th January, 2017 and G.S.R. 712 (E), dated the 30th July, 2018.